निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन 1945 (श0)

(सं0 पटना 288) पटना, सोमवार, 18 मार्च 2024

सं० 3ए–2–वे०पु०–02/2024-2896/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

15 मार्च 2024

विषयः– **वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3590, दिनांक–24.05.2017 द्वारा बिहार अवर योजना संवर्ग के अवर योजना पदाधिकारी का स्वीकृत वेतनस्तर–7 के स्थान पर वेतनस्तर–8 स्वीकृत किये जाने के संबंध में।**

योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना सं०–4025, दि०–09.12.2009 द्वारा बिहार अवर योजना संवर्ग नियमावली, 2009 अधिसूचित है, जिसमें निम्नवत् पदसोपान विहित हैः–

क्र०सं०	पदनाम	पदसोपान
1	**योजना सहायक** (पूर्व पदनाम– वरीय सांख्यिकी सहायक)	मूलकोटि
2	**अवर योजना पदाधिकारी** (पूर्व पदनाम– सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी)	प्रथम प्रोन्नति का पद

2. **योजना सहायक** (पूर्व पदनाम– वरीय सांख्यिकी सहायक) एवं **अवर योजना पदाधिकारी** (पूर्व पदनाम– सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी) का वेतनमान दिनांक–01.01.1996 से अबतक निम्नवत् स्वीकृत हैः–

क्र० सं०	पदनाम	दि०–01.01.1996 से स्वीकृत वेतनमान	दि०–01.01.2006 से स्वीकृत वेतनमान	दि०–01.01.2016 से स्वीकृत वेतनस्तर
1.	**योजना सहायक** (पूर्व पदनाम– वरीय सांख्यिकी सहायक)	5000-8000/-	PB-2+4200/-	Level-7
2.	**अवर योजना पदाधिकारी** (पूर्व पदनाम– सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी)	5500-9000/-	PB-2+4600/-	Level-7

3. उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि दिनांक–01.01.2016 से वेतन पुनरीक्षण हेतु गठित राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3590, दिनांक–24.05.2017 द्वारा मूलकोटीय पद **योजना सहायक** (पूर्व पदनाम– वरीय सांख्यिकी सहायक) का वेतनमान दिनांक–01.01.2016 से PB-2+4200/- का समान प्रतिस्थानी वेतनस्तर–6 के स्थान पर एक उच्च **वेतनस्तर–7** स्वीकृत किया गया है, जबकि प्रोन्नत पद **अवर योजना पदाधिकारी** (पूर्व पदनाम–सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी) का वेतनमान दिनांक–01.01.2016 से PB-2+4600/- का समान प्रतिस्थानी **वेतनस्तर–7** ही स्वीकृत है। इस प्रकार मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पद दोनों के लिए दिनांक–01.01.2016 से एक ही वेतनस्तर–7 स्वीकृत है, जो एक विसंगति है।

4. **अतः सम्यक् विचारोपरान्त** बिहार अवर योजना संवर्ग के प्रोन्नति का पद **अवर योजना पदाधिकारी** का दिनांक–01.01.2016 से वेतनस्तर–7 के स्थान पर वेतनस्तर–8 स्वीकृत किया जाता है। वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3590, दिनांक–24.05.2017 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 288-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: http://egazette.bih.nic.in